



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में सुधार मण्डल गाजियाबाद, वर्तमान में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद की आवासीय कालोनी कविनगर के ब्लाक—सी स्थित आवासीय भूखण्ड सं० सी०एच० सी०/1. जिसका क्षेत्रफल 141.14 वर्गमी० है तथा भूखण्ड के सामने हापुड रोड (45.72 मी० चौड़ा) स्थित है। प्राधिकरण के अभिलेखों के अनुसार वर्तमान भू—स्वामियों श्रीमती उर्मिला गोयल, श्री अभिनव मित्तल, श्री चन्द्र किशोर गोयल व श्री कार्तिक गोयल द्वारा अपने पक्ष में दिनांक 27.12.2023 को विक्रय विलेख कराये जाने के उपरान्त प्राधिकरण से नियमानुसार अपने भूखण्ड पर आवासीय निर्माण हेतु स्वीकृत मानचित्र सं०—GDA/BP/2024-25/0144 दिनांक 30.04.2024 (Self Approved) के विपरीत स्थल पर व्यवसायिक प्रयोजन हेतु निर्माण कर लिया गया है। जिसके विरुद्ध उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद योजित करते हुए निर्माण को स्थल पर सील कर दिया गया था।

उ०प्र० शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी किये गये शासनादेश सं०—1323/2025/आठ—3099/208/2025 दिनांक 04 जुलाई 2025 के साथ जन—सामान्य हेतु जारी किये गये उ०प्र० विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन—2025 तथा शमन उपविधि 2009 व इससे सम्बन्धित पत्र में उल्लेखित शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए जारी की गयी शमन उपविधि—2025 के अन्तर्गत किये गये अनाधिकृत निर्माण व अनाधिकृत व्यवसायिक गतिविधि का शमन किये जाने हेतु नियमानुसार आवेदन किया गया है। मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन 2025 के अध्याय—8 “मिश्रित—उपयोग एवं ट्रांजिट ओरिएण्टेड डवलपमेंट” के सडकों पर (प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या विकसित ले—आउट तथा बाजार स्ट्रीट आदि) के अन्तर्गत मिश्रित उपयोग की अनुमन्यता दी गयी है”।

अतः उपरोक्तानुसार आवासीय भूखण्ड सं० सी०एच० सी०/1, कविनगर, गाजियाबाद पर निर्मित किये गये भवन जिसमें भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल का निर्माण विद्यमान है, के भूतल पर पार्किंग/व्यवसायिक, प्रथम तल पर व्यवसायिक/आवासीय तथा द्वितीय तल पर आवासीय उपयोग के रूप में मिश्रित भू—उपयोग (व्यवसायिक उपयोग अनुमन्य 49 प्रतिशत से कम) के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार प्राप्त शमन आवेदन के विरुद्ध एक माह की अवधि प्रदान करते हुए जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्राविधान है। उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव देना है तो अपनी आपत्ति/सुझाव दो प्रतियों में प्रभारी प्रवर्तन जोन—4, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 तीन के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा। अपर सचिव

ई.मेल : help@negda@gmail.com,  : @Gda Ghaziabad  : @gdagzb

हेल्पलाइन 0120-4418 384, व्हाट्सएप: 9990988004 वेबसाइट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प